संख्या:18/3649 /12-2-2015-एस.85/2008

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 26 अक्टूबर, 2015

विषयः रबी अभियान 2015-16 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन के लिए मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ फसल सीजन में बुआई से वंचित क्षेत्रों एवं वर्षा के अभाव में खडी फसलों में हुई क्षति की भरपाई के दृष्टिगत रबी 2015-16 के लिए अधिक फसलोत्पादन के लिए रणनीति संबंधी दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या- 3223/12-2-2015-एस.85/2008 दिनांक 21 सितम्बर, 2015 द्वारा आपको पूर्व में दिये जा चुके हैं।

2. जिला एवं मण्डल स्तरीय अधिकारियों की कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में रबी उत्पादकता गोष्ठी के आयोजन का निर्णय लिया गया है जिसमें संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, कृषि एवं सम्बद्ध विभाग के संबंधित अधिकारी एवं मण्डल स्तरीय अधिकारी सम्मिलित होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में निम्नलिखित मण्डलों की रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन निम्नलिखित विवरणानुसार किया जायेगा, जिससे संबंधित मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम संलग्न है:-

क्र0सं0	मण्डल का नाम	आयोजन की तिथि	स्थान	दिन
1	झांसी एवं चित्रकूट	03 नवम्बर, 2015	झांसी	मंगलवार
2	लखनऊ, देवीपाटन एवं फैजाबाद	04 नवम्बर, 2015	लखनऊ	बुधवार
3	वाराणसी एवं मीरजापुर व आजमगढ	05 नवम्बर, 2015	वाराणसी	गुरूवार
4	मेरठ, सहारनपुर व मुरादाबाद	09 नवम्बर, 2015	मेरठ	सोमवार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित विवरणानुसार शेष निम्न मण्डलों की रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल मुख्यालय पर किया जायेगा:-

क्र0सं0	मण्डल का नाम	आयोजन की तिथि	स्थान	दिन
1	बरेली एवं कानपुर	03 नवम्बर, 2015	-	मंगलवार
2	आगरा, अलीगढ एवं इलाहाबाद	04 नवम्बर, 2015	-	बुधवार
3	गोरखपुर एवं बस्ती	05 नवम्बर, 2015	-	गुरूवार

4. रबी उत्पादकता गोष्ठी का समन्वय कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा उक्त गोष्ठी का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। आयोजित गोष्ठी में संबंधित विभाग के शासन स्तर के विशेष सचिव स्तर या उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

5. रबी गोष्ठी की तिथियों में परिवर्तन भी मा0 मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के मण्डलों में भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत ही किया जा सकेगा अन्यथा यथासमय-यथास्थान की जायेगी।

6. कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 18 /3649(1)/12-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई/गन्ना/सहकारिता/ऊर्जा/राजस्व/संस्थागत वित्त/ समन्वय/लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ पशुपालन/मत्स्य/दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद/कानपुर/मेरठ/डीम्ड विश्वविद्यालय, इलाहाबाद/बांदा।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग/गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. परियोजना समन्वयक, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ।
6. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. प्रशासक, शारदा सहायक राम गंगा समादेश, उत्तर प्रदेश।

8. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/पंचायत राज विभाग, कृषि विज्ञान संस्थान/वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी/राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ/राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ/उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।

9. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम/कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ/उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम/भूमि सुधार निगम/कोआपरेटिव बैंक लि0/यू0पी0स्टेट एग्रो, लखनऊ।

10. प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, लखनऊ/सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/मुख्य अभियन्ता, नलकूप, पूर्व/पश्चिम विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

11. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।

12. सामान्य प्रबंधक, जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन।

13. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, पानदरीबा, चारबाग, लखनऊ।

14. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

15. समस्त संयुक्त/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

16. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

17. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रबी गोष्ठी के आयोजन की सूचना अपने स्तर से समस्त संबंधित को तत्काल प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

18. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

19. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मण्डलीय रबी गोष्ठी के संचालन हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम

दिनांक

10:30 बजे		गोष्ठी प्रारम्भ
10:30 बजे	10:45 बजे	मण्डलायुक्त द्वारा स्वागत एवं रबी की रणनीति पर सम्बोधन
10:45 बजे	10:55 बजे	गेहूँ के वैज्ञानिक द्वारा चर्चा
10:55 बजे	11:05 बजे	दलहन के वैज्ञानिक द्वारा चर्चा
11:05 बजे	11:15 बजे	तिलहन के वैज्ञानिक द्वारा चर्चा
11:15 बजे	12:00 बजे	प्रत्येक जनपद के एक कृषक द्वारा गोष्ठी में चर्चा
12:00 बजे	12:20 बजे	अन्य मण्डलायुक्त द्वारा रबी की रणनीति पर सम्बोधन
12:20 बजे	13:00 बजे	मुख्य विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा/चर्चा
13:00 बजे	13:30 बजे	विभागीय प्रमुख सचिव/ सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा उदबोधन
13:30 बजे	13:50 बजे	कृषि उत्पादन आयुक्त का उदबोधन
13:50 बजे	14:00 बजे	धन्यवाद ज्ञापन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।